

GAZETTE OF THE INDIA, EXTRAORDINARY

[Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi, the 24th October, 2016


ORDER

SUBJECT: Mandating Indian Language Support for Mobile Phones as per IS 16333 (Part 3).

In exercise of the power conferred by clause 10(1)(p) of Bureau of Indian Standard Act, 1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of the rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Central Government, hereby includes the Indian language support for mobile phone as per IS 16333 (Part-3) to the Schedule of "Electronics and Information Technology Goods (Requirement for Compulsory Registration) Order, 2012".

2. The provisions of "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012" except paragraph 1(2), shall apply for the aforesaid inclusion by virtue of this Order w.e.f. 1st July 2017.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 2357(E), dated 3rd October, 2012 and subsequently amended vide S.O. 2034(E) dated 5th July 2013, S.O. 3022(E) dated 4th Oct 2013, S.O. 2905(E) dated 13th Nov 2014, S.O. 345(E) dated 3rd Feb 2016 and S.O. 638(E) dated 10th Feb 2016.


(Rajiv Bansal)

Joint Secretary

F. No. 8(81)2015-IPHW

राजपत्र सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1975/
No. 1975/

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 3, 2012/आश्विन 11, 1934

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2012/ASVINA II, 1934

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2012

का.आ. 2357(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 10(1)(त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के खंड (च क) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से छः माह की अवधि के अवसान पर प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.—(1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अभिप्रेत है;

(ख) "समुचित प्राधिकारी" से कोई अधिकारी जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या इसके अधीनस्थ या सम्बद्ध कार्यालयों के निदेशक या वैज्ञानिक 'एफ' से नीचे की पंक्ति का न हो, जिसे सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है;

